

अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही (हजारीबाग)

वाद संख्या.../67.../2021 धारा 144 दंड प्र० सं०

अशिव कुमार खिन्हा — बनाम — अर्जुन भाव

तारीख	—: आदेश :—	अभियुक्ति
27/10/21	<p>इस वाद में दिनांक 27/10/2021 को प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। 60 दिन से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं विधि-व्यवस्था भंग होने जैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।</p> <p>अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p>	